06/10/2021 पत्रावली मुख्यालय जोधपुर पर पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप. अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटगण ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दावा तनकीयात कायम की स्टेज पर विचाराधीन थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 22/06/2017 को कैम्प उण्डखा में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की

CROR

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुपस्थिति में पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिसे अपीलांटगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना प्रतिवेदित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/06/2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का मौका देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर